अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2022 (GCMS 2022/275) (आरटीआई नं. 212350047654519) इन्द्राज पुत्र राम प्रताप, विशाल फोटो स्टेट कोर्ट रोड, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)–335063 बनाम प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री इन्द्राज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला भू अभिलेखागार रिकॉर्ड, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.10.2022 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी इन्द्राज ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला भू–अभिलेखागार, रिकॉर्ड, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमान् आपके अधीन कार्यालय जिला भू अभिलेख (रिकॉर्ड रूम) में भूमि आवंटन की पत्रावलियां जमा है। जिसमें से कस्टोडियन आवंटन भूमि आवंटन की पत्रावलियों की सूचि सन् 1970 से 2000 तक की लिस्ट आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावें।
2. श्रीमान् जिला भू अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में कस्टोडियन आवंटन से सम्बन्धित समस्त/सम्पूर्ण पत्रावलियों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करना है। जिसमें मैना राम पुत्र फरसा राम–भाट निवासी.... की मूल पत्रावली व प्यारेलाल, शंकरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

भंवरलाल, भाग चन्द, जन्टीराम पुत्र बुधाराम आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि लूंगा। श्रीमान् निरिक्षण हेतु समय दिनांक पत्र द्वारा प्रेषित करें।

3. श्रीमान् जिला भू अभिलेखागार कार्यालय में कस्टोडियन, भूमिहीन आवंटन के सम्पूर्ण आवंटन रजिस्टर, आवंटन आदेश, डिस्पेच रजिस्टर का भी निरीक्षण करना है। समय दिनांक पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की जाये।
4. श्रीमान् आपके अधीन जिला श्रीगंगानगर में कौन कौन सी तहसील में कस्टोडियन भूमि राज रकबा, आराजीराज पडा, की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावें।
5. श्रीमान् जिला भू—अभिलेखागार कार्यालय में पौंग डेम वालों के आवंटन की मूल आवंटन पत्रावलियां सन् 1970 से 1985 की पत्रावलियां जमा है कि सूची लीस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावें।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2011—12 दिनांक 23.11.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से आपका आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 2.11.22 को प्राप्त हुआ। जिसमें आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं. 1 से 5 तक की सूचना काफी विस्तृत है। सूचना का अधिकार अनियम 2005 की धारा 2 च के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना एवं खोजे गये तथ्य आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय नहीं है क्योंकि आपके द्वारा वांछित सूचना काफी विस्तृत है। अतः सूचना अभिलेखों से खोज कर तथा तैयार कर उपलब्ध करवाने पर लोक सूचना प्राधिकारी के संसाधनों का अनेपिक्षत ढंग से विचलन होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत ऐसी सूचना की आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हैं अतः आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested